दिनांक 02.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित पुस्तकालय हेतु पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण वाड्मय साहित्य भेंट किया गया

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को आज दिनांकः 02.05.2025 को गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, लखनऊ के मुख्य प्रबन्धक ट्रस्टी श्री उमानन्द शर्मा की उपस्थित में गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्त्री सुश्री रेनू श्रीवास्तव जी के माध्यम से पुलिस मुख्यालय स्थित पुस्तकालय हेतु पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण वाड्मय साहित्य के 79 खण्डों को भेंट किया गया।

उल्लेखनीय है कि गायत्री परिवार के संस्थापक पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण तथा मनोबल, आत्मबल से व्यक्ति सम्पन्न हो, नैतिकता जीवन का आधार बने, कर्तव्यनिष्ठ पथ पर चलने में आत्मबल मिले ऐसा साहित्य ऋषि ने लेखबद्ध किया है। गायत्री परिवार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों में तनाव को कम करने, मानसिक शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त साहित्य को पुलिस मुख्यालय स्थित पुस्तकालय हेतु भेंट किया गया है तथा इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गायत्री परिवार की पुस्तिका अखण्ड ज्योति(हिन्दी एवं अंग्रेजी) की प्रतियां भेंट की गयी।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा इस अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर के ज्ञान यज्ञ अभियान की सराहना करते हुये कहा गया कि ऋषि के उक्त साहित्य में उल्लिखित लाभप्रद तथ्यों का अनुश्रवण पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का आत्मबल व मनोबल बढ़ाने वाला सिद्ध होगा।

मुख्यालय
प्रशान्त कुमार

मुख्यालय
महानिदेशक
प्रशान्त कुमार

मुख्यालय

दिनांक 02.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

विश्व विख्यात क्रिकेटर एवं पद्म भूषण से सम्मानित श्री कपिल देव जी द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की गयी

आज दिनांकः 02.05.2025 को विश्व विख्यात क्रिकेटर एवं पद्म भूषण से सम्मानित **श्री कपिल देव जी** द्वारा **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री आनन्द स्वरूप** अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, **श्री अमिताभ यश** अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में मुलाकात की गयी ।

तत्पश्चात श्री कपिलदेव जी द्वारा उ0प्र0 पुलिस के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले निम्नांकित खिलाड़ियों को मेमेन्टों भेट कर उन्हें सम्मानित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स, जूड़ो, ताइक्वांड़ो, आर्म रेसलिंग आदि

1–म0 आ0 रेशमा पटेल 2–म0 आ0 अस्मिता डे 3–म0 आ0 सीमा कनौजिया 4–म0 आ0 पूजा 5–म0 आ0 अनिशा 6– म0आ0 मधु सिंह 7–म0 आ0 दीपा चौधरी 8–आ0 ऋषि राय 9–आ0 राहुल कुमार।

राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स, आर्चरी, क्रास कन्ट्री, तैराकी व हाकी आदि

1–आ0 इरफान 2–आ0 आर0एन0 चौधरी 3–आ0 मोहित कुमार 4–आ0 पंकज कुमार 5–आ0 शिवांग मिश्रा 6–आ0 लविश शर्मा 7–म0आ0 उजाला 8–म0आ0 रिंकी पाल 9–म0आ0 टीना 10–म0आ0 रोशनी यादव 11–म0आ0 प्रियंका सिकरवार 12–म0आ0 श्रेया भारद्वाज 13–म0आ0 दीपका पाण्डेय 14–म0आ0 शिल्पी यादव 15–म0आ0 प्रेमलता 16–आ0 मोहित शर्मा 17–म0आ0 रिया वर्मा 18–आ0 मो0 हारिस ।

कार्यक्रम के दौरान **श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा श्री कपिल देव जी का स्वागत करते हुये अपने सम्बोधन में कहा गया कि यह हमारे लिये ऐतिहासिक क्षण है, आप वह शख्सियत है, जिन्होने अपने निर्देशन में जीत का जज्बा सिखाया। आज 50 वर्ष से अधिक की उम्र का ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे किसी न किसी रूप में मोटीवेट न हुआ हो। आपने ग्रामीण पृष्ठिभूमि से

आकर भी जो सफलता प्राप्त की है वह सामान्य व्यक्ति के बश की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति के सपने कैसे साकार होते है, वह आपने सिखाया है और हम लोगों ने इन सपनों को साकार होते अपनी ऑखों से देखा है, चाहे वह विश्व के लिये हो, चाहे भारत के लिये हो। आपसे मिलकर हमारे युवा खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित है।

श्री कपिल देव जी द्वारा यूपी–112 मुख्यालय का भ्रमण किया गया तथा भ्रमण करने के उपरान्त पुलिस मुख्यालय में अपने सम्बोधन में प्रदेश की कानून–व्यवस्था को उत्कृष्ट बताते हुयें यू0पी0–112 के कार्यों की प्रशंसा की गयी तथा कहा कि इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नही बल्कि आप सभी को जाता है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीक के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है।

श्री कपिल देव जी के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उनको पूर्ण मनोयोग से अपने खेल पर ध्यान केन्द्रित करते हुए खेलों को खुशी और प्रसन्न मन से आनन्द लेकर खेलने की सलाह दी गई। श्री कपिल देव जी द्वारा द्वारा खिलाड़ियों एवं उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछे गए जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर दिया गया। खिलाड़ियों द्वारा यह पूछने पर कि परफॉर्मेंस खराब होने पर क्या करना चाहिए तब उनके द्वारा बताया गया कि जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती है तब और अधिक मेहनत तथा प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए, हम लोग भी यही करते है नेट पर और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। यह पूछे जाने पर कि बतौर कप्तान टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करने और मनोबल बनाए रखने के लिए वह क्या करते थे, श्री कपिल देव द्वारा बताया गया कि मैं हमेशा रात में खाने के समय उस खिलाड़ी के साथ समय बिताता था जिसने शून्य रन बनाए थे न कि जिसने 100 रन बनाए थे, उनके द्वारा हमेशा उस खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता था जिसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हो, ताकि वह अगले दिन बढ़िया परफॉर्मेंस दे सके।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा श्री कपिलदेव जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।

सत्यमेव जयते

दिनांक 02.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बरेली/थाना भोजीपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम फरीदपुर जगीरपुर के जंगल में पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लईक उर्फ कालिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बरेली के थाना भोजीपुरा पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लईक उर्फ कालिया निवासी ग्राम अलीनगर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का ई–रिक्शा**
- **01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कूकडा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रवीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट का ई–रिक्शा, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नई मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रवीन निवासी गांधीनगर कूकडा थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर मूल निवासी ग्राम सोहजनी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लूट का ई–रिक्शा।

2–01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट)**
- **03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे लाइन के किनारे जंगल में बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—बिट्टू उर्फ प्रवेश 2—गोलू उर्फ रवि घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3—नवीन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट), 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त बिट्टू उर्फ प्रवेश के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त गोलू उर्फ रवि के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बिट्टू उर्फ प्रवेश निवासी भूपखेडी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2—गोलू उर्फ रवि निवासी गोटरा थाना फोर्निया जनपद महोबा हालपता ईदगाह के सामने बैंक वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3—नवीन निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—03 चार पहिया वाहन (बिना नम्बर प्लेट)।

2—03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कासगंज/थाना कासगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के भारी मात्र में पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **07 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 01/02.05.2025 की रात्रि थाना कासगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कासगंज—सोरों रोड बारहपत्थर मैदान के पास से 03 अभियुक्तों 1—रिहान 2—नसीम 3—कमल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण, 07 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें अभियुक्त रिहान के विरूद्ध जनपद कासगंज, अलीगढ़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त नसीम के विरूद्ध जनपद कासगंज, अलीगढ़, कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कासगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिहान निवासी बड्डूनगर मस्जिद के पास कस्बा व थाना कासगंज जनपद कासगंज।

2—नसीम निवासी थाना व जनपद कासगंज।

3—कमल निवासी ग्राम नमैनी थाना व जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—07 हजार रूपये नगद।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के पीली धातु के आभूषण**
- **76 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 बैट्रा**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.05.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैण्ट स्थित बंगला नं0 18 के पास से अभियुक्त तस्लीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के पीली धातु के आभूषण, 76 हजार 500 रूपये नगद, 01 बैट्रा, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– तस्लीम निवासी ग्राम मऊ खालसा, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–चोरी के पीली धातु के आभूषण।

2–76 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 बैट्रा।

4–01 मोटर साइकिल।

- **<u>जनपद जौनपुर/थाना सुजानगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सुजानगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना रेवती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना रेवती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए सपठित धारा 120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————